

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीक

सुगनाराम बनाम अमराराम  
 किस्म मुकदमा 212RTM मु.नं. 154 वर्ष 20

दिनांक	आज्ञा-पत्र
25 <sup>11</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी व पार्थी स्वयं अनुपस्थित। वकील पार्थी व पार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगावाई गई। उक्त के बावजूद न्यायालय समय में लायेंकाल तक भी वकील पार्थी व पार्थी स्वयं में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली इसी स्तर पर अदम्य पेशी। अदम्य हाजिरी में पारिज दिने जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली कैंसल शुमार होकर बाह लकमील दाखिल कपलर हों।</p>

उपखण्ड अधिकारी  
 धौद जिला-सीकर

